

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मार्च 2015—चैत्र 5, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. एफ 22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अगस्त 2013, 06 मार्च 2014, 10 मार्च 2014, 21 जुलाई 2014 एवं 2 मार्च 2015 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन संरक्षक को यान के अग्रशीर्ष भाग पर, पीली बत्ती प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.